# उद्योगपति को दो साल की सश्रम जेल, 10.20 लाख रू जुर्माना

# घरेलू उपभोक्ता को भी दो साल की सश्रम कैद, 2.90 लाख जुर्माना

नई दिल्लीः 16 अप्रैल, 2014। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए, बिजली की स्पेशल कोर्ट्स ने बिजली चोरी के आरोप में दो लोगों को दो–दो साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर लाखों रूपये का जुर्माना भी किया है।

पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्टरी चलाने वाले राधेश्याम गिरि को कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी का दोषी करार दिया है। गिरि को दो साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, उन पर 10.20 लाख रूपये का जुर्माना भी किया है।

राज फिनिशर्स के नाम से नंद नगरी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग के मालिक राधेश्याम गिरि और उनके बेटे को बीवाईपीएल टीम ने 2006 में 32.5 किलोवॉट बिजली की चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा था। इस मामले में स्थानीय पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर नंबर है 906/2006। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

बीवाईपीएल ने बिजली एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक, पिता–पुत्र पर बिजली चोरी के आरोप में 12.76 लाख रूपये का जुर्माना किया था, लेकिन उन्होंने जुर्माने का भुगतान नहीं किया। उसके बाद बीवाईपीएल इस मामले को कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट में ले गई। राधेश्याम गिरि के पुत्र अजय उर्फ बंटी को ऑफेंडर घोषित किया गया, यानी ऐसा शख्स जो कानून तोड़ता हो।

उधर, साउथ दिल्ली के सरिता विहार निवासी मोहम्मद आरिफ को भी बिजली चोरी के आरोप में दो साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई है। उन पर 2.90 लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माने में फाइन और सिविल लायबिलिटी दोनों शामिल हैं। यदि आरोपी जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करता है, तो उसे अलग से और छह महीने जेल में गुजारने होंगे।

साकेत स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट के जज श्री राकेश तिवारी ने कहा– मेरे विचार में यह एक आर्थिक अपराध है। ऐसे लोगों की वजह से, बिजली की कीमतों का भुगतान करने वाले ईमानदार उपभोक्ता परेशान होते हैं। ऐसे दोषी लोग दूसरों की कीमत पर लाभ उठाते हैं और उन पर नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। बिजली कानून 2003 की धारा 135 के तहत आरोपरी को दो साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई जाती है।

सरिता विहार के मदनपुर खादर एक्सटेंशन पार्ट 2 की गली नंबर 6 में रहने वाले मोहम्मद आरिफ के घर बीआरपीएल ने 2012 में छापा मारकर 9.5 किलोवॉट बिजली की चोरी पकड़ी थी। वहां पास के बिजली पोल पर कटिया डालकर बिजली की चोरी की जा रही थी, जिसका इस्तेमाल घरेलू कार्यों के लिए हो रहा था। नियमों के मुताबिक, बीआरपीएल ने उपभोक्ता पर 1.21 लाख रूपये का जुर्माना किया, लेकिन तय समय के भीतर आरोपी ने जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं किया। इसके बाद मामले को स्पेशल कोर्ट में ले जाया गया।